

२१<sup>१२</sup> पत्रावली पेश हुयी। कौर्ड भी उप० नही।  
वादी व वादीवकील का बार-बार आवाज लगी थी  
गड। कौर्ड भी उपस्थित नही आये। वादी व वादी  
वकील के वावजूद सुनना अनु० रहने से पत्रावली  
अदम दायरी अदम परकी में खारिज किया जाता  
है। पत्रावली जैसल सुमार होकर गम्बर से  
रुम है। वादपूति दारिजल दफतर है।

सहायक कलेक्टर  
फर्रुख (अलवर) राज.